

1. नाम लेख्यकारी – श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह पिता का नाम स्वर्गीय फेकन सिंह ~~निवास स्थान अख्तियारपुर पटेढ़ा थाना~~ सराय पत्रालय पटेढ़ा भाया सराय जिला वैशाली। भारतीय नागरिक।

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director

13/m1

28
10.4.2001. 04735

Maa Bhavani Buildcon Pvt. Ltd.
Managing Director



2.नाम लेख्यधारिणी:– श्रीमती बिरजा सिन्हा धर्मपत्नी श्री विश्वनाथ सिन्हा निवास स्थान पटेल नगर थाना वो पत्रालय शास्त्रीनगर जिला पटना। भारतीय नागरिक।

3.लेख्य प्रकार:– निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वरा ला कलामी (DEED OF ABSOLUTE SALE)

4.मूल्यांकन:– मो0 85,000/–पचासी हजार रूपया मात्र।

5.सम्पति का सम्पुर्ण:– विवरण मकानी (2040 वर्गफीट) दो हजार चालिस वर्गफीट एयजी परता आवासीय हकियत रैयती कायमी नगदी वाके मौजा रूस्तमपुर शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर परगना फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना अन्दर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार वाके है। जिसकी तौजी संख्या 5855 (पांच हजार आठ सौ पचपन) थाना संख्या 17 (सतरह) खाता संख्या 268 (दो सौ अड़सठ) सर्वे खसरा संख्या 623 (छव

MA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director



सौ तेइस) का अंश भाग जिसे काशी विश्वनाथ सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 पटना द्वारा खण्डित करके समिति भूखण्ड संख्या 4 (चार) के रूप मे क्रमांकित किया गया है। जिसकी सालाना मो0 1 रूपया अलावे शेश बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर , पटना।

चौ ह द्द दी

उतर:– 20 फीट चौड़ा रास्ता

दक्षिण:– समिति भूखण्ड संख्या 5

पूरब:– समिति भूखण्ड संख्या 3

पश्चिम:– 12 फीट चौड़ा समिति रास्ता

यह कि उपरोक्त सम्पति की बिक्री हेतु लेख्यकारी ने शहरी सम्पति भुमि हदबन्दी अधिनियम 1976 की धारा 26 (1) के अन्तर्गत विहित प्रपत्र पर दिनांक 2–9–1998 ई0 को सक्षम पदाधिकारी पटना के समक्ष सूचना दाखिल किये है जिसका क्रमांक 5465 सन् 1999 ई0 है। जिससे सात दिनो से अधिक की अवधि समाप्त हो चूकी है। और आज तक उक्त सम्पति के अधिग्रहण या सुचना पत्र के

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director



के अस्वीकृति की कोई सुचना लेख्यकारी को सरकार द्वारा नही दी गयी है। जिससे उक्त अधिनियम की धारा 26 (2) के अर्न्तगत स्पस्ट है कि उपरोक्त सम्पति के हस्तांतरण करने मे सरकार को कोई आपति नही है।

संदर्भ

यह कि लेख्यकारी अज मेम्बर काशी विश्वनाथ सहकारी गृह निर्माण समिति लिo के है। तथा खाने नo 5 मे वर्णित सम्पति का आबंटन उक्त समिति द्वारा बनाम लेख्यकारी के किया गया था तथा इसी संदर्भ में समिति के तत्कालीन सचिव श्री विश्वनाथ सिन्हा ने एक किता वशिका निर्विवाद बिकय पत्र बनाम लेख्यकारी के निश्पादित किया जिसका पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 25 पेज संख्या 95 से 102 निबंधन संख्या 3673 सन् 1992 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर आजतक लेख्यकारी उपरोक्त सम्पति पर बहैसियत सम्पति के स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पति को अपने उपयोग वो उपभोग मे लाते रहे है वो है। वो लेख्यकारी का नाम बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत संख्या 158 सन 1992–93 ई0 मे दर्ज पाया गया है।

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director



लेख्यकारी को तत्काल बनाने मकान वो खरीदने अन्य सम्पति एवं अन्य जरूरतो के पुर्ति हेतु रूपयो की अत्यन्त आवश्यक्ता है और जब तक खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति की बिकी लेख्यकारी नहीं करते है। तब तक रूपयो का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारी ने बहैसियत सम्पति के मुल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पुर्ण लाभ हानि को भली भांति समझबुझकर अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति को समयानुसार उचित मूल्य मो0 85,000/-(पचासी हजार रूपये) मे बदस्त लेख्यधारिणी खाना नं0 2 के बेचा वो बैय ला कलामी किया। वो लेख्य निश्पादन का एकरार सहर्श स्वीकार किया।

मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी ने इस वशिका पर हस्ताक्षर के पुर्व ही केता वा से मुगतान पा चूके है। अब लेख्यकारी का सम्पति के मुल्य का एक नया पैसा भी बाकी नहा रहा वो न कभी होगा।

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director

100Rs.



(6)

खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविश्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयो के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविश्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपसोग वो उपमोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें।उस वक्त लेख्यकारी या उनके उतराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि लेख्यकारी या उनके उतराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर या जरे सम्पत्ति मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा वमोकावले वशिका बिकय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा।

लेख्यकारी (विक्रेता) ने लेख्यधारी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाय है कि खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director

संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से मुक्त वो पाक साफ हैं। वो आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी खाने न0 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें है। वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भूभाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपनी क्षतिपूर्ति वकदर बेदखली या जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे कानूनी सूद के साथ लेख्यकारी से या उनके उत्तराधिकारी के अन्यान्य चलाचल सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा।

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला बैय ला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें। (समाप्त)

प्रमाणित किया जाता है कि मूल प्रति वो द्वितीय प्रति कुल सात पृष्टो मे तैयार किया गया है जो एक दुसरे की सच्ची प्रतिलिपी है।

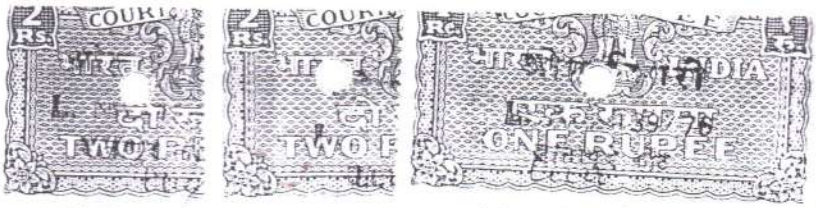
प्रस्तुतकर्ता

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

11.04.2001

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director



अनुसूची १४—फारम सं० ५६२

आदेश-पत्रक

शिविर

(देखें अभिलेख हस्तक १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक ता०- - - - - - - - - से- - - - - - - - तक

जिला - - - - - - - - - - से - - - - - - - - - सन् १९

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं०- - - - - - - - सन् 185/95-96

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
18.6.95	आज़ दिनांक 18.6.95 को राजस्व कार्य के सिलसिले के प्रसंग में ग्राम - फतुहा - थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री अमरीका सिंह वल्द श्री विश्वनाथ सिंह ग्राम - पटेलनगर - थाना आलमगंज - जिला - पटना ने निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन-पत्र दिया है जिसे वसीका संख्या - ५५५४ - दिनांक 9.3.92 - प्रति से इन्होंने श्री - [illegible] वल्द - [illegible] ग्राम - [illegible] थाना - [illegible] जिला - पटना - से क्रय किया है।	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	विक्रेता का नाम एवं वसीका सं०
सिकन्दरी	फतुहा 99		282	523	80&3 9&3	

LND
327
18.3.09

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। 28.6.95

28.6.95 अभिलेख दिनांक 28.6.95 को उपस्थित करें

अंचलाधिकारी

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

(१) रैयती है।

(२) आवेदक के पूर्व दखल में है।

(३) जमाबन्दी - - - - - - - - - फे नाम से कायम है।

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director

भारत INDIA
दो रुपये
TWO RUPEES

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारंवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	इनकी अनुशंसा नामांतरण हेतु है। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांतरण पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है। अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर अवेदक पक्ष में नामांतरण की - - - - - - - - स्वीकृति - - - - - - - दी जाती है। शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे। लेखापति — अंचल अधिकारी, दानापुर अंचल-अधिकारी दानापुर Certified to be true Copy 18/3/09 18/3/09	शुद्धि पत्र प्राप्त तुलना कर्ता

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर— साल— 97-98 हल्का नम्बर— 9 अंचल— दानापुर

ग्राम— सिकंदरपुर राजस्व थाना नम्बर— 99 जिला— पटना

मु० में जमीन रकवा 185/98-96 प्राप्त का जरिया— अदालती

जरशमने केवाल— 2918 तिथि— 99-9-98

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लोट	रकवा	लगान	जमाबंदी नम्बर 1832
काली किशुनाथ सिकदरी गुरु सिमरि स० कि० पटना खरिद- श्री किशुनाथसिंह पा पटीमाना/ पत्ता	28	1823	518	4.20	दाखिल विक्रय पत्र का आधारपर देखा जमीन ईमारती खपरा दलौर पेड़ हैं जमाबंदी में विक्रेता का नाम अंकित है जमीनकुल को दखल कब्जा में है। अतः दाखिल खारीज की स्वीकृति दी जा सकती है 26/6/98
बचा हुआ रकवा	"	"	519	2.20	

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लोट	रकवा	लगान
~~श्रीमती शिवला सिंहा~~ पति किशुनाथ सिंहा पा- पटीमाना थाना- शाहपुरी जिला- पटना	28	1823	8053 एकी	2.00

CAO
'32'
18.3.09

दाखिल खारिज किया जा सकता है

Certified to be true Copy

18/3/09

For Maa Bhawani Buildcon Pvt. Ltd

Managing Director

18.3.09

तुलना कर्ता

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

ऑनलाइन
Running Unique No.: **0370640718**
(Receipt No.)

लगान रसीद

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Danapur**
हल्का:- **नगर परिषद् दानापुर**	मौजा :- **सिकन्दरपुर**
जमाबंदी सं0:- **5148/1** भाग वर्तमान:- **17** पृष्ठ संख्या:- **74534**	मौजा/थाना सं0:- **17**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **GIRJA SINHA** अभिभावक का नाम:- **VISHWANATH SINHA**	पता:- **SHASTHRINAGAR ,**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
268	623	0 एकड़ 9.28 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	15.00	15.00	15.00	0.00	30.00	2019-2020 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	21.75	21.75	21.75	0.00	50.00	2019-2020 से 2020-2021
कुल	36.75	36.75	36.75	0.00	80.00	2019-2020 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	15.00	15.00	30.00	2019-2020 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	21.75	21.75	50.00	2019-2020 से 2020-2021	
कुल	36.75	36.75	80.00	2019-2020 से 2020-2021	

कुल बकाया-80.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Eighty Rupees

तिथि- **25-06-2020**

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.

Managing Director

Print

GOVT. OF BIHAR
Registration, Excise & Prohibition Deptt.
PATNA SCORE, PATNA

COURT FEE

Authorization No. 2913

भारत INDIA

STAMP DUTY
00000
Rs. 0000005 20.1.2012
375303
BIHAR
Zero Zero Zero Zero Zero Zero Five

JUDICIAL

2736 4623423

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

श नम्बर- [illegible]
साल - 2011-12
हल्का नम्बर- 6
अंचल - दानापुर
राजस्व थाना नम्बर- 98
जिला - पटना
प्राप्त का जरिया- [illegible]
मे जमीन रकबा-
जरशमन- केबाल- √394 तिथि- 27-12-12

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
[illegible] सहकारी गृह निर्माण समिति लि० दानापुर पटना	282	623	0.20 डि.	3.80	10894
बचा हुआ रकबा					
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
रामचन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व० चन्द्रिका सिंह सा० दरियापुर मोहरी कुर्था मोतीहारी पटना	282	623	40 कट्ठा कीस्त	3.80	

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.
Managing Director

अंचल
दानापुर
सूचनोपरान्त अनापत्ति होने पर राजस्व तकनीकि में दाखिलाखारिज की प्रक्रिया की जाय।
[illegible]

GOVT. OF BIHAR
Registration,Excise & Prohibition Deptt
PATNA SCORE, PATNA

COURT FEE

Authorization No 2913

भारत STAMP DUTY 00000 बिहार JUDICIAL

Rs ≈ 0000005 ≈ 20.1.2012

375303 BIHAR

INDIA --Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Five---

आदेश-पत्रक

४-फारम नं०-५६२/

(देखें अभिलेख १९४१ का नियम १२९)

श पत्रक संख्या ..... ता० ..... हल्का .....

वल का नाम ..... जिला .....

1956

आदेश की क्र. सं. और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३
10-1-12	श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह वल्द स्व० चमैक सिंह ग्राम दिघाजी मोहरी थाना कुढ़ाबोरोनी जिला पटना ने केवाला नं० 1398 दिनांक 24-12-11 के आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किया है। मौजा का नाम — हाल नं० — खाता — खेसरा — एरिया रसलपुर 96 — 28 — 823 — 0.22 डिसमिल Stipulated t Proposed da Cav-289 dt/10/12 मूल आवेदन-पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपूर्ति की माँग करें। अभिलेख दिनांक 20-1-12 को उपस्थित करें। लिखाया एवं शुद्ध किया। अंचलाधिकारी MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD. Managing Director	
20-1-12	महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है उन लोगों ने आवेदक के नाम दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज (dkl) किया जाता है। लिखाया एवं शुद्ध किया। अंचलाधिकारी पुलना कत	

[illegible]

GOVT. OF BIHAR
Registration, Excise & Prohibition Deptt
PATNA SCORE, PATNA

COURT FEE

Authorization No 2913

भारत
INDIA

STAMP DUTY
00000
Rs. 0000005 20.1.2012
375303 BIHAR
Zero Zero Zero Zero Zero Zero Five

बिहार
JUDICIAL

आदेश-पत्रक

(बी १४-फारम नं०-५६२/

(देखें अभिलेख १९४१ का नियम १२१)

आदेश पत्रक संख्या ..... ता० ..... हल्का .....
अंचल का नाम ..... जिला .....

1957

आदेश की क्र. सं. और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३

10-1-12

श्री ..... प्रभात कुमार .....

वल्द रामचन्द्र संसार सिंह

ग्राम दक्षिणी संडरी थाना इसरामोनी जिला पटना

केवाला नं० 1394 दिनांक 20-12-11 के आधार

पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किया है।

मौजा का नाम	तौजी नं०	खाता	खेसरा	एराजी
सिकन्दरपुर	96	282	523	2000

CAV - 2/0
20/1/2012

मूल आवेदन-पत्र हल्का कर्मचारी का अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपूर्ति की माँग करें। अभिलेख दिनांक 20-1-12 को उपस्थित करें। लिखाया एवं शुद्ध किया।

अंचलाधिकारी

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.
Managing Director

अंचलाधिकारी

20-1-12

महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। दावेदार आवेदन प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है उन लोगों ने आवेदक के नाम दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज [illegible] किया जाता है। लिखाया एवं शुद्ध किया।

अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी

20/1

GOVT. OF BIHAR
Registration Exose & Prohibition Depot
PATNA SCORE, PATNA

COURT FEE

Authorization No 2913

भारत
सत्यमेव जयते
INDIA

STAMP DUTY
00000
Rs ≈ 0000005 ≈
375303

बिहार
JUDICIAL
20.1.2012
BIHAR

Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Five

दाखिल खारिज - प्रतिवेदन

नम्बर- सिकन्दरपुर
साल - 2011-12
हल्का नम्बर- 6
राजस्व थाना नम्बर- 96
प्राप्त का जरिया- [illegible]
तिथि- 27-12-12
अंचल - दानापुर
जिला - पटना
मे जमीन रकबा-
केबाल- √3.47
अरशमन-

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
काशी विश्वनाथ सहाय एवं अन्य निगम समिति द्वारा दानापुर, पटना	26	623	0.20	3.80	10696
बचा हुआ रकबा					
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
डा० प्रभात कुमार पिता रामचन्द्र प्रसाद सा० दक्षिणी मोदकी कुदा दानापुरी- पटना	26	623	8000 वर्गफी०	3.80	

MAA BHAWANI BUILDCON PVT. LTD.
Managing Director